

अध्याय IV: आयकर और धनकर

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 हमने आय कर से संबंधित 137 उच्च मूल्य के मामले, जिनमें ₹ 286.29 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है वित्त मंत्रालय को मई 2015 से सितम्बर 2015 के दौरान उनकी टिप्पणी हेतु भेजे हैं। इसके अलावा इस अवधि में ₹ 0.18 करोड़ की धन कर राशि से संबंधित छह मामले भी वित्त मंत्रालय को भेजे गए।

4.1.2 मंत्रालय ने 106.73 करोड़ (नवम्बर 2015) के कर प्रभाव सहित 33 मामलों में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। शेष 110 मामलों में से विभाग (आईटीडी) ने ₹ 28.38 करोड़ के कर प्रभाव वाले 22 मामलों को स्वीकार किया जबकि 0.57 करोड़ (पैरा 2.6.3 में संदर्भित) के कर प्रभाव वाला एक मामला स्वीकार नहीं किया। आईटीडी ने ₹ 251.86 करोड़ के कर प्रभाव वाले 143 मामलों में से 117 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूरी की है और ₹ 24.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले 17 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की है।

4.1.3 इस अध्याय में 137 आय कर और छः धन कर मामलों पर चर्चा की गई है जिनमें से ₹ 275.47 करोड़ के कम प्रभार वाले 136 मामले और ₹ 11.0 करोड़ के अधिक प्रभार के सात मामले शामिल हैं। गलत निर्धारण के इन मामलों से आयकर विभाग में प्रयोग की जा रही निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है।

4.1.4 गलतियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्नवत् वर्गीकृत किया गया है:

- i. निर्धारणों की गुणवत्ता
- ii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन
- iii. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय
- iv. अन्य कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

इस प्रतिवेदन की तालिका 2.4 (पैरा 2.5.5) गलतियों और उनके कर प्रभाव की व्यापक श्रेणियों का विवरण दर्शाती है।

4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद एओज ने निर्धारणों में गलतियां की। गलत निर्धारण के ये मामले आईटीडी की आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाते हैं जिसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। तालिका 4.1 त्रुटियों (परिशिष्ट 2.3 में संदर्भित) की उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिसने निर्धारणों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण (₹ करोड़ में)			
उप वर्ग	मामले	टीई	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	16	83.40	दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ख. कर, उपकर आदि का गलत अनुप्रयोग	08	26.98	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और ओडिसा
ग. ब्याज की उगाही में त्रुटियाँ	29	54.65	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल
घ. अपीलीय आदेशों को लागू करते समय निर्धारण में त्रुटि	01	0.15	बिहार
कुल	54	165.18	

4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हमने ऐसे पाँच निदर्शी मामलों को नीचे दर्शाया है:

आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान है कि एओ को निर्धारिती की कुल आय हानि का सही निर्धारण करना चाहिए तथा कर या प्रतिदाय की सही राशि निर्धारित करनी चाहिए, जैसा भी मामला हो।

4.2.2.1 उत्तर प्रदेश, सीआईटी गोरखपुर प्रभार में ए.ओ ने ₹ 183.21 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2008-09 के लिए एक सहकारी समिति, किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती के आय की गणना करते समय एओ ने ₹ 19.91 करोड़ की अनुमत हानि की बजाए ₹ 189.40 करोड़ माना (निर्धारिती के आयकर विवरणी के अनुसार)। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 52.37 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 169.49 करोड़ हानि की अधिक गणना हुई। आईटीडी ने धारा 147 के तहत गलती में सुधार किया (मार्च 2014)।

4.2.2.2 गुजरात, सीआईटी-II सूरत प्रभार में, एओ ने नि.व. 2010-11 के लिए आय की सीमा तक कारोबार हानियों का समायोजन करने के पश्चात् मार्च 2013 में संवीक्षा के पश्चात् एक सहकारी समिति, **सयन विभाग सहकारी खण्ड उद्योग मंडली लिमिटेड** का निर्धारण 'शून्य' आय पर पूरा किया। निर्धारिती के दावों को धारा 145ए के तहत तैयार माल की ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के साथ-साथ कच्चे माल की बिक्री और खरीद पर उत्पाद शुल्क का समायोजन के बाद अनुमत किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने जोड़ने की बजाए क्लोजिंग बैलेंस के प्रति ₹ 36.13 करोड़ घटा दिया और इसको घटाने की बजाए अवशेष में ₹ 21.87 करोड़ जोड़ दिया। त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 8.81 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 28.51 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2014)।*

4.2.2.3 दिल्ली, सीआईटी (मध्य)-III प्रभार में, एओ ने धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के तहत मार्च 2013 में नि.व. 2006-07 के लिए एक व्यक्ति, **वीरेन्द्र जैन** की ₹ 243.13 करोड़ आय और उस पर ₹ 78.80 करोड़ कर का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कर माँग की गणना करते समय निर्धारित आय का सटीक आंकड़ा ₹ 243.13 करोड़ की बजाए ₹ 234.13 करोड़ माना गया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 5.57 करोड़ कर की कम उगाही हुई। *आईटीडी ने धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2014)।*

4.2.2.4 दिल्ली, सीआईटी (मध्य)-I प्रभार में, एओ ने मार्च 2013 में नि.व. 2008-09 के लिए एक व्यक्ति, **रीशू गुप्ता** की आय का ₹ 3.47 करोड़ और उस पर ₹ 0.13 करोड़ कर का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि आयकर गणना शीट (आईटीएनएस-150) में ₹ 1.17 करोड़ राशि की बजाए ₹ 0.13 करोड़ के कर माँग की गणना की गई। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.67 करोड़ कर की कम उगाही हुई। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2015) और नवम्बर 2013 में धारा 154 के तहत त्रुटि में सुधार किया।*

4.2.2.5 दिल्ली, सीआईटी (मध्य)-I प्रभार में, एओ ने मार्च 2014 में नि.व. 2006-07 से 2009-10 और नि.व. 2011-12 के लिए धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153(ए) के तहत एक व्यक्ति, **ओम प्रकाश कुकरेजा** की आय की क्रमशः ₹ 3.26 करोड़, ₹ 0.06 करोड़, ₹ 0.52 करोड़, ₹ 0.98 करोड़ और ₹ 0.21 करोड़ की गणना की। नि.व. 2012-13 के लिए मार्च 2014 में संवीक्षा

के पश्चात् ₹ 3.03 करोड़ की आय और उस पर ₹ 0.92 करोड़ कर का निर्धारण किया गया। नि.व. 2006-07 से 2009-10 और 2011-12 के लिए अधिनियम की धारा 145(3) के प्रावधानों को देखते हुए निर्धारिती की कारोबार आय अनुमानित बिक्री की पाँच प्रतिशत पर गणना की गई जिसे नि.व. 2006-07 से 2009-10 और नि.व. 2011-12 में क्रमशः ₹ 10 करोड़, ₹ 12 करोड़, ₹ 13 करोड़, ₹ 14 करोड़ और ₹ 15 करोड़ निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ₹ 3.2 करोड़ की सही राशि की बजाए ₹ 0.32 करोड़ की शुद्ध कारोबार आय की गलत गणना की गई थी। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.50 करोड़ कर के कम उद्ग्रहण वाली ₹ 2.88 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2012-13 के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए गैर प्रकटित निवेश के आधार पर निवल कारोबार आय ₹ 15.50 करोड़ की अनुमानित बिक्री का पाँच प्रतिशत लिया गया था, जबकि अनुमानित बिक्री की पाँच प्रतिशत की गणना करते समय निवल कारोबारी आय ₹ 0.78 करोड़ की सही राशि की बजाए ₹ 0.08 करोड़ दर्शाई गई थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 0.27 करोड़ कर के कम उद्ग्रहण वाली ₹ 0.70 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ। सभी निर्धारण वर्षों के लिए कर की कुल कम उगाही राशि ब्याज सहित ₹ 1.77 करोड़ थी। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (अक्टूबर 2015) और सितम्बर 2014 में धारा 154 के अंतर्गत त्रुटियों में सुधार किया।

4.2.3 कर और उपकर की दरों का गलत अनुप्रयोग

हमने नीचे चार निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

संबंधित वित्त अधिनियम में निर्धारित दरों पर उपकर सहित आयकर प्रभारित किया जाएगा।

4.2.3.1 दिल्ली, सीआईटी (मध्य)-। प्रभार में, एओ ने मार्च 2013 में धारा 144 के अंतर्गत नि.व. 2011-12 के लिए एक व्यक्ति, संजय कुमार सिंह की ₹ 47.42 करोड़ आय की गणना की। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि कर मांग की गणना करते समय लागू दर पर उपकर (10 प्रतिशत की दर पर) के रूप में ₹ 1.42 करोड़ राशि की उगाही की गई थी जबकि निर्धारण वर्ष 2011-12 में आयकर पर उपकर की उगाही का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, आयकर गणना शीट में कुल कर मांग का आंकड़ा धारा 234ए और 234बी के तहत क्रमशः ₹ 1.45 करोड़ और ₹ 3.54 करोड़ ब्याज जोड़ने के पश्चात् सही आंकड़ा ₹ 21.09 करोड़ की बजाए ₹ 2.11 करोड़ दर्शाया गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 17.36 करोड़ की कम उगाही हुई।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपति स्वीकार की (अक्टूबर 2015) और नवम्बर 2013 में त्रुटि में सुधार किया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 167बी(2)(ii) में प्रावधान है कि कोई सदस्य या इसके सदस्य ऐसे दरों पर प्रभार्य होंगे जो अधिकतम मार्जिनल दर से अधिक होंगे, तो कर उस भाग या संगठन या निकाय की कुल आय के भागों पर प्रभारित किया जाएगा ऐसे उच्च दर या दरों पर ऐसे सदस्य अथवा सदस्यों के भाग या भागों से संबंधित हों, जैसा भी मामला हो और संगठन अथवा निकाय की कुल आय के अधिशेष पर अधिकतम मार्जिनल दर पर कर लगाया जाएगा।

4.2.3.2 ओडिसा, सीआईटी भुवनेश्वर प्रभार में एओ ने मार्च 2013 में संवीक्षा के अंतर्गत नि.व. 2010-11 के लिए एक एओपी, एचसीआईएल अधिकारी एआरएसएस (जेवी), की आय का निर्धारण ₹ 94.23 करोड़ किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती तीन कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम था। तीन सदस्य साझेदारों में से, मै. पं. अधि. कार्य(परसेरो) टीबीके, इक्विटी साझेदारी की 30 प्रतिशत धारक एक इंडोनेशियाई कंपनी थी। इस प्रकार, ₹ 94.23 करोड़ की निर्धारित आय के 30 प्रतिशत पर एओ द्वारा वसूले गए 33.99 प्रतिशत की अधिकतम मार्जिनल दर की बजाए कम निर्धारण वाले वर्ष हेतु लागू 42.23 प्रतिशत दर पर कर लगाया जाना था। ऐसी चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.46 करोड़ के ब्याज सहित कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने बताया कि धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके कार्रवाई शुरू की गई है (जुलाई 2014)।

4.2.3.3 गुजरात, सीआईटी-III अहमदाबाद प्रभार में, एओ ने सितम्बर 2010 में ₹ 0.79 करोड़ की विवरणी आय की संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2008-09 के लिए एचयूएफ, बालकृष्ण पी. त्रिवेदी, का निर्धारण किया। मार्च 2014 में ₹ 3.81 करोड़ के अल्पावधि पूँजी अर्जन सहित ₹ 3.92 करोड़ की आय पर धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण में संशोधन किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अल्पावधि पूँजी अर्जन पर कर 30 प्रतिशत की सामान्य दर की बजाए 20 प्रतिशत दर पर कर वसूला गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 0.56 करोड़ के कर की कम वसूली हुई। आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की (अगस्त 2014)।

4.2.3.4 दिल्ली, सीआईटी (मध्य)-I प्रभार में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 4.46 करोड़ आय का निर्धारण करते समय धारा 144 के साथ पठित धारा 153सी के तहत मार्च 2013 में एक व्यक्ति, रमा जैन, का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि कर मांग की गणना करते समय

10 प्रतिशत की दर पर वसूली योग्य उपकर की विभाग द्वारा वसूली नहीं की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 0.24 करोड़ कर की कम उगाही हुई। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपति स्वीकार की (अक्टूबर 2015) और नवम्बर 2013 में धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया।*

4.2.4 ब्याज वसूली में त्रुटियां

हमने नीचे चार ऐसे निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से विभिन्न चूकों के लिए ब्याज उगाही का प्रावधान है।

4.2.4.1 महाराष्ट्र, सीआईटी (मध्य)-। मुंबई प्रभार में एओ ने दिसम्बर 2008 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153बी(1) के तहत नि.व. 2007-08 के लिए एक व्यक्ति, **अतुल अमृतलाल सांघवी**, की आय का ₹ 310.11 करोड़ निर्धारण किया जिसे बाद में आयकर आयुक्त के निर्देश पर संशोधन करके दिसम्बर 2011 में ₹ 331.07 करोड़ कर दिया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इस तथ्य के बावजूद भी निर्धारिती ने जुलाई 2007 में विवरणी फाइल करने की निर्धारित तिथि की बजाए फरवरी 2008 में बाद में अपना विवरणी फाइल की थी, एओ ने धारा 234ए के तहत ब्याज नहीं वसूला। चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए के तहत ₹ 7.80 करोड़ ब्याज की गैर-वसूली हुई। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपति स्वीकार की (अक्टूबर 2015) और मार्च 2015 में धारा 154 के तहत त्रुटि में सुधार किया।*

4.2.4.2 उत्तर प्रदेश, सीआईटी (मध्य) कानपुर प्रभार में एओ ने मार्च 2013 में धारा 153ए/144 के तहत नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए एक व्यक्ति, **संदीप कुमार** की आय का क्रमशः ₹ 96.45 करोड़ और ₹ 90.50 करोड़ निर्धारण किया। यद्यपि निर्धारिती ने आयकर विवरणी फाइल नहीं की थी, धारा 234ए के तहत विभाग द्वारा ब्याज की वसूली नहीं की गई थी। *इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.08 करोड़ के कर की कम वसूली हुई। आईटीडी ने धारा 154/144 के तहत त्रुटि में सुधार कर लिया।*

4.2.4.3 मध्य प्रदेश में सीआईटी (केन्द्रीय) भोपाल प्रभार के एओ ने मार्च 2014 में धारा 153ए/143(3) के अन्तर्गत नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 34.47 करोड़ और ₹ 25.01 करोड़ की आय पर **मुकेश सिंगला**, एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आईटीडी ने नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 3.25 करोड़ और ₹ 2.76 करोड़ की सही राशि की बजाए धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 2.10 करोड़ और ₹ 0.92 करोड़ का ब्याज लगाया। गलती के परिणामस्वरूप

₹ 2.99 करोड़ का कम ब्याज लगाया गया। आयकर विभाग ने धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि में सुधार किया (नवम्बर 2014)।

4.2.4.4 आन्ध्र प्रदेश में सीआईटी (केन्द्रीय) प्रभार के एओ ने निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए मार्च 2014 में ₹ 32.11 करोड़ की आय के लिए धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत रघु राम कृष्ण राजू, एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि धारा 234ए और 234बी के अन्तर्गत ब्याज ₹ 2.47 करोड़ तक लगाया गया था। आयकर विभाग ने धारा 154 (जनवरी 2015) के अन्तर्गत गलती को स्वीकार किया और सुधार किया।

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 अधिनियम में अध्याय VI-ए के अन्तर्गत और इसके सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय के कुछ वर्गों के लिए निर्धारिती को कुल आय की संगणना में रियायतों/छूटों/कटौतियों अनुमत की गई हैं। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने उन लाभार्थियों को अनियमित रूप से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ दिए थे जो इनके हकदार नहीं थे। ये मामले आइटीडी की ओर से कर रियायतों/कटौतियों/छूटों के प्रशासन में कमजोरियों के बारे में बताते हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तालिका 4.2 उप श्रेणियों को दर्शाती है। जिससे कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है।

तालिका 4.2 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के तहत त्रुटियों की उपश्रेणियां				(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	सं.	टीई	राज्य	
क. व्यक्ति को दी गई अनुचित छूटों/कटौतियों/रियायत	7	2.64	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूटी चंडीगढ़ और उत्तराखंड।	
ख. न्यास/फर्म/समितियों/एओ पी को दी गई अनुचित छूटों/ कटौतियों/रियायत	8	16.05	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।	
ग. कारोबारी व्यय की गलत अनुमति	23	60.79	गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, यूटी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।	
घ. मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूँजीगत हानियों में अनियमिततायें	11	13.70	बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।	
कुल	49	93.18		

4.3.2 व्यक्तियों को अनुचित छूट/कटौतियाँ/रियायत

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80आईबी(10) के तहत, जहां एक निर्धारिती की कुल सकल आय में प्रगतिशील अथवा बिल्डिंग हाऊसिंग परियोजनाओं से कोई लाभ या आय शामिल हो तो ऐसी हाऊसिंग परियोजना से नि.व. से संबंधित पिछले वर्ष में अर्जित लाभ की कुल आय की गणना करते समय शत प्रतिशत कटौती अनुमत की जाएगी, बशर्ते कि अन्य बातों के साथ-साथ उस परियोजना की भूमि के प्लॉट का आकार न्यूनतम एक एकड़ क्षेत्रफल का हो।

4.3.2.1 केरल, सीआईटी कोझिकोड प्रभार में, एओ ने कचेरी गाँव, कोझिकोड की हाऊसिंग परियोजना के संबंध में धारा 80आईबी(10) के अंतर्गत ₹ 3.13 करोड़ की कटौती अनुमत करने के पश्चात् नवम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2009-10 के लिए एक व्यक्ति पी.वी. हेमलता की आय का ₹ 0.25 करोड़ और कृषिगत आय ₹ 0.05 करोड़ निर्धारण किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि परियोजना केवल 70.57 सेंट्स के भूमि प्लाट पर अक्टूबर 2008 में पूर्ण हुई थी। चूँकि परियोजना एक एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली जमीन के प्लॉट पर थी, निर्धारिती धारा 80आईबी(10) के तहत छूट का पात्र नहीं था। निर्धारिती को अनुमत ₹ 3.13 करोड़ की अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.41 करोड़ राशि के कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2015)।

4.3.3 न्यासों/फर्मों/समितियों/एओपीज को अनियमित छूट/कटौतियाँ/राहत

हमने नीचे चार ऐसे निदर्शी मामले दर्शाए हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37(1) में प्रावधान है कि कारोबार या व्यवसाय के उद्देश्य से किसी व्यय पर (धारा 30 से 36 में उल्लिखित प्रकृति का न हो और पूँजीगत व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का न हो) कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अर्जन शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना करते समय पूर्णरूपेण या विशेष रूप से छूट अनुमत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, धारा(1)(iv) में प्रावधान है कि नियोक्ता को निर्धारिती द्वारा मान्यताप्राप्त निधि अथवा एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के प्रति योगदान के माध्यम से अदा की गई किसी भी राशि पर छूट अनुमत होगा।

4.3.3.1 तमिलनाडु, सीआईटी 1 मदुरै प्रभार में, एओ ने नि.व. 2009-10 और 2010-11 के लिए दिसम्बर 2011 और मार्च 2013 में संवीक्षा के पश्चात् तृतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट की आय का क्रमशः ₹ 94.15 करोड़ और ₹ 95.75 करोड़ निर्धारण किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नि.व. 2008-09 और 2009-10 के लिए (नि.व. 2009-10 और 2010-11 से

संबंधित) लाभ एवं हानि लेखे में ₹ 15.50 करोड़ और ₹ 15.00 करोड़ की राशि के पेंशन भुगतान के प्रति क्रमशः ₹ 12.61 करोड़ और ₹ 15.78 करोड़ से अलग पेंशन एवं ग्रेच्यूटी निधि में योगदान के प्रति डेबिट की गई थी। चूँकि पेंशन एवं ग्रेच्यूटी हेतु भुगतान संबंधित निधि पर प्रभारित है, पेंशन के प्रति ₹ 12.61 करोड़ और ₹ 15.78 करोड़ का भुगतान लाभ एवं हानि लेखे से डेबिट नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, पेंशन निधि के प्रति योगदान का दावा धारा 36(1)(iv) के तहत स्वीकार्य है और इसलिए धारा 37 के तहत फिर से इसका दावा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, ₹ 12.61 करोड़ और ₹ 15.78 करोड़ राशि का पेंशन भुगतान व्यय मना कर दिया जाना था और इसे क्रमशः नि.व. 2009-10 और 2010-11 की आय में वापस जोड़ दिया जाना चाहिए था। ऐसी चूक के परिणामस्वरूप ₹ 9.16 करोड़ के कुल कर प्रभाव वाली समान राशि तक आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने बताया कि नि.वि. 2010-11 के लिए धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और एओ को नि.व. 2009-10 के लिए धारा 147 लागू करने का निर्देश दिया गया है (मई 2015)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10बी में प्रावधान है कि पिछले वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष जिसमें उपक्रम वस्तु का निर्माण या उत्पादन करते हैं, जैसा भी मामला हो, के साथ शुरू होने वाले 10 लगातार निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए वस्तुओं या सामानों या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से शत प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम द्वारा प्राप्त ऐसे लाभ और अर्जन की कटौती कुल आय से अनुमत होगी।

4.3.3.2 उत्तर प्रदेश, सीआईटी 1 कानपुर प्रभार में, एओ ने नि.व. 2011-12 के लिए मार्च 2014 में संवीक्षा के पश्चात् एक साझेदारी फर्म, मेहरा ब्रदर्स की आय का निर्धारण ₹ 35.38 लाख करते हुए 11^{वें} लगातार वर्ष के लिए अर्थात् 10 वर्षों की अनुमत सीमा के बाहर (नि.व. 2001-02 से नि.व. 2010-11) ₹ 4.62 करोड़ के लाभ की कटौती का फायदा पहुँचाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.94 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 4.62 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने बताया कि इसने धारा 263 के तहत कार्रवाई शुरू किया था (मई 2015)। धारा 263 के तहत कार्यवाहियों के दौरान, निर्धारिती ने ₹ 4.66 करोड़ की राशि को वापस लौटा दिया था और नि.व. 2011-12 के लिए कर चालान जमा किया (मई 2015)।

4.3.3.3 आंध्र प्रदेश, डीआईटी(छूट) हैदराबाद प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2009-10 के लिए एक निर्धारिती, **नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन**, की आय का निर्धारण ₹ 23.76 करोड़ किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने आयकर के प्रति ₹ 3.04 करोड़ की राशि डेबिट की थी (वर्ष 2006-07 से संबंधित ₹ 0.92 करोड़ तथा वर्ष 2007-08 से संबंधित ₹ 2.12 करोड़)। चूँकि अदा किए गए आयकर को व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता और अनुमत नहीं किया जा सकता, इसे वापस आय में जोड़कर कर निकाला जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप इतनी राशि की आय की कम संगणना हुई जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.31 करोड़ की कम माँग की गई। *आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत त्रुटि में सुधार किया (मार्च 2014)।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार किसी व्यक्ति के वर्ष की कुल आय की गणना करने में कृषि आय के अंतर्गत आने वाली कोई भी आय निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त चाय निर्माता के विशेष मामले से संबंधित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8 के मामले में विक्रेता द्वारा उगाई और बनाई गई चाय की भारत में बिक्री से होने वाली आय को कारोबार से हुई आय के रूप में संगणना की जाएगी और ऐसी आय के 40 प्रतिशत आय पर कर लगाया जाएगा।

4.3.3.4 पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-XII, कोलकाता प्रभार में एओ ने नि.व. 2012-13 के लिए मार्च 2014 में संवीक्षा के पश्चात एक फर्म, **आत्माराम एण्ड कंपनी** की आय ₹ 2.74 करोड़ निर्धारित की। निर्धारिती चाय की खेती और इसके उत्पादन में संलग्न था और करयोग्य आय के रूप में लाभ का 40 प्रतिशत प्रस्तुत की थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने वर्ष के दौरान कुल ₹ 33.07 लाख किग्रा चाय का उत्पादन एवं विक्रय किया और ₹ 5.97 करोड़ का लाभ अधिशेष दर्शाया। वर्ष के दौरान बेची गई चाय की कुल मात्रा में से 14.43 लाख किग्रा चाय खरीदी गई चाय की हरी पत्तियों से बनाई गई थी और न कि निर्धारिती द्वारा उगाई गई थी। अतः निर्धारिती द्वारा खरीदी गई चाय की हरी पत्तियों से तैयार चाय की बिक्री से अर्जित ₹ 2.60 करोड़ का समानुपातिक 100 प्रतिशत लाभ आयकर नियम के नियम 8 के तहत लाभ हेतु अर्हक नहीं है, इसलिए सम्पूर्ण लाभ पर कारोबार आय के रूप में कर लगाया जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 59.89 लाख के कर प्रभाव वाली ₹ 1.56 करोड़ आय (₹ 2.60 करोड़ का 60 प्रतिशत) का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (अगस्त 2015) और जनवरी 2015 में धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

4.3.4 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने नीचे ऐसे चार निदर्शी मामले दर्शाए हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एओ को संवीक्षा निर्धारण में आय की सही गणना और उसका निर्धारण करना पड़ता है। सीबीडीटी ने एओ और अपने पर्यवेक्षण अधिकारियों को समय-समय पर निर्देश भी जारी किया था कि समीक्षा निर्धारण में त्रुटि न हो।

4.3.4.1 तमिलनाडु, सीआईटी-1 चेन्नई प्रभार में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात् **तमिलनाडु कोआपरेटिव स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड** की आय ₹ 1.97 करोड़ निर्धारित की। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 140.24 करोड़ राशि, लाभ एवं हानि लेखे में 'डाउनसीजिंग में ब्लॉकड एसएआरडीबी एफएस वेबर में अंतर का प्रावधान' के प्रति डेबिट कर दी गई थी। चूँकि उपरोक्त राशि गैर-सांविधिक रिजर्व के प्रति मात्र एक प्रावधान था, यह एक स्वीकार्य व्यय नहीं है। इसकी अननुमति के परिणामस्वरूप ₹ 47.67 करोड़ कर की कम उगाही के साथ ₹ 140.24 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (नवम्बर 2015) और मार्च 2013 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

4.3.4.2 हरियाणा, सीआईटी पंचकुला प्रभार में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 12.35 करोड़ पर **हरियाणा स्टेट को आपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड** का दिसम्बर 2011 में निर्धारण किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ₹ 3.01 करोड़ की राशि बैंक के कृषि क्रेडिट स्थायीकरण निधि में क्रेडिट दी गई थी (₹ 100.29 करोड़ की कृषि क्रेडिट स्थायीकरण निधि के अर्द्ध शेष के तीन प्रतिशत पर प्रभारित)। उक्त राशि को बैंक द्वारा अदा किए गए ब्याज के करण व्यय में शामिल किया गया था और कृषि क्रेडिट स्थायीकरण निधि के अतिरिक्त के रूप में दर्शाया गया था जो रिजर्व और अधिशेष का एक भाग है। चूँकि रिजर्व और अधिशेष में जोड़ना लाभ के प्रति एक विनियोजन है और न कि लाभ एवं हानि लेखे पर प्रभार, इसे करयोग्य आय में दुबारा जोड़ा जाना चाहिए था। ऐसी चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ के कर की कम उगाही सहित ₹ 3.01 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (नवम्बर 2015) और जुलाई 2014 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी में प्रावधान है कि कुछ व्यय के प्रति कटौती तभी की जाएगी जब आयकर विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथि से पूर्व अथवा पिछले वर्ष में इसे वास्तव में अदा किया गया हो।

4.3.4.3 उत्तर प्रदेश, सीआईटी मेरठ प्रभार में, एओ ने नि.व. 2008-09 के लिए दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात् ₹ 1.83 करोड़ की हानि पर एक सहकारी समिति, **रामला सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड** का निर्धारण करते समय उपार्जित और देय लेकिन अदा न किए ब्याज के लिए ₹ 3.64 करोड़ अनुमत किया। चूँकि आयकर विवरणी फाइल करने की निर्धारित तिथि तक सरकारी खाते में राशि जमा नहीं की गई थी, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 36.17 लाख का सकारात्मक कर प्रभाव पड़ा और कुल कर प्रभाव ₹ 85.13 लाख हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (नवम्बर 2015) और मार्च 2013 में 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

4.3.4.4 ओड़िसा, सीआईटी कटक प्रभार में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए नवम्बर 2011 में हानि को अग्रेनीत हानियों को सेटिंग ऑफ करने के पश्चात् निर्धारिती **द कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी** की आय की 'शून्य' गणना की। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने भूमि प्रीमियम के प्रति अपने लाभ एवं हानि लेखे में ₹ 3.50 करोड़ डेबिट किया था जो पूँजीगत व्यय की प्रकृति का है। गैर अनुमत व्यय की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 3.50 करोड़ तक की आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने गलती स्वीकार की और धारा 263/143(3) के तहत गलती में सुधार किया (मार्च 2015)।*

4.3.5 मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूँजीगत हानियों में अनियमिततायें

हमने नीचे दो ऐसे निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

आयकर नियम, 1962 के नियम 5 के अनुसार धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के तहत अनुमति, परिसंपत्तियों के किसी ब्लॉक पर मूल्यहास परिसंपत्तियों की ऐसे ब्लॉक के अवलेखित मूल्य पर आयकर नियमों के परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता पर गणना की जाएगी जैसे कि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्धारिती के कारोबार या व्यवसाय के उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया हो। इसके अतिरिक्त, मुख्यतः आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होने वाले भवनों के अलावा भवनों पर मूल्यहास की दर 10 प्रतिशत है और ऐसे भवनों में सड़कें, पुल, पुलिया, कुएँ, नलकूप शामिल हैं (आयकर नियमावली 1962 के नए परिशिष्ट-1 के नीचे टिप्पणी 1)।

4.3.5.1 पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-IX कोलकाता प्रभार में, एओ ने मार्च 2013 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2010-11 के लिए ₹ 46.11 करोड़ की

निवल हानि मानते हुए एक स्थानीय प्राधिकरण, **हल्दिया विकास प्राधिकरण** का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती को ₹ 57.02 करोड़ का मूल्यहास किया गया था जिसमें सड़कों पर ₹ 17.29 करोड़ का मूल्यहास शामिल था। आगे यह भी देखा गया कि 10 प्रतिशत अनुमत दर की बजाए सड़कों पर 100 प्रतिशत मूल्यहास दर अनुमत किया गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 4.81 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 15.56 करोड़ के अधिक मूल्यहास की अनुमति दी गई। *आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 के अनुसार, 'कारोबार आय' शीर्ष के तहत अनुमत न की गई कोई हानि अग्रणीत नहीं की जाएगी। और आगामी वर्षों की कारोबार आय के प्रति मुआवजा नहीं दिया जाएगा जब तक कि हानि की विवरणी निर्धारित तिथि से पूर्व फाइल नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, धारा 2(11) में परिसंपत्तियों के 13 ब्लॉकों का प्रावधान है जिस पर अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार मूल्यहास अनुमन्य है। भूमि, परिसंपत्तियों के किसी भी ब्लॉक में नहीं आती और इसलिए मूल्यहास की अनुमति हेतु अर्हक नहीं है।

4.3.5.2 बिहार, सीआईटी । 'पटना प्रभार में, मार्च 2014 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 1.03 करोड़ के अनावशोषित मूल्यहास सहित ₹ 8.12 करोड़ की हानि पर एक स्थानीय प्राधिकरण, **बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण पटना** का नि.व. 2011-12 के लिए निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि धारा 139(1) के बहत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि 30 सितम्बर 2011 के प्रति नि.व. 2011-12 के लिए आयकर विवरणी 26 मार्च 2012 को फाइल की गई थी। जैसा कि निर्धारिती की आय शून्य और कारोबार हानि ₹ 7.09 करोड़ निर्धारित की जानी चाहिए थी और उसे अग्रणीत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आगे यह भी देखा गया कि निर्धारिती ने भूमि विकास, भूमि अधिग्रहण और क्षेत्रीय विकास पर दावा किया था और ₹ 50.31 लाख का मूल्यहास अनुमत किया गया था जो अनुमन्य नहीं था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.35 करोड़ के प्रभावी कर प्रभाव वाली ₹ 50.31 लाख की मूल्यहास हानि और ₹ 7.09 करोड़ की कारोबार हानि अग्रणीत करने की गलत अनुमति हुई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2014) और यह बताया कि सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।*

4.4 चूकों के कारण निर्धारण से छूटने वाली आय

4.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी पूर्व वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से आर्जित आय, वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाली या प्राप्ति या प्राप्ति हेतु मांग से सभी आय शामिल होंगी। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम किया जिस पर कर लगाया जाना था। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के कार्यान्वयन में भी चूक हुई थी जिससे कर लगाना छूट गया। तालिका 4.3 उप श्रेणियां दर्शाती है जियके कारण चूकवश आय निर्धारण से छूट गई।

तालिका 4.3 चूकों के कारण निर्धारण से छूटने वाली आय			(₹ करोड़ में)
उप श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. पूंजीगत अर्जन का गलत वर्गीकरण और संगणना	03	1.41	गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान।
ख. आय की गलत संगणना	13	10.26	असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।
ग. टी.डी.एस./टी.एस.एस. के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक	05	2.88	गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल।
घ. अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट	06	2.38	छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।
ड. संपत्ति कर की गैर/कम उगाही	06	0.18	गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
कुल	33	17.11	

4.4.2 पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना

हमने नीचे ऐसा एक निदर्शी मामला दर्शाया है।

4.4.2.1 गुजरात, प्रधान सीआईटी-IV, अहमदाबाद प्रभार में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए नवंबर 2011 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति, **मयूर मुकुंदभाई देसाई** की आय का ₹ 0.69 करोड़ निर्धारण किया जिसे बाद में जून 2012 में धारा 250 के तहत संशोधित करके 0.66 करोड़ कर दिया। निर्धारिती ने धारा 10(36) के तहत शेयरों की बिक्री पर ₹ 2.32 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) की छूटप्राप्त आय का दावा किया और आय के विभिन्न शीर्षों के तहत कुल आय से शेयरों की बिक्री पर ₹ 0.67 करोड़ की अल्पावधि पूंजीगत हानि (एसटीसीएल) को समायोजित

किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उन शेयरों का निवेश के रूप में प्रकटन नहीं किया गया था जैसा कि निर्धारिती द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया था और इस प्रकार एसटीसीजी और एसटीसीएल के रूप में दावित अंतरणों को कारोबार आय के रूप में माना जाना चाहिए था और उस पर कर लगाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 0.23 करोड़ के संभावित कर और ब्याज सहित ₹ 0.97 करोड़ कर की कम वसूली हुई। आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2015)।

4.4.3 आय की गलत संगणना

हमने नीचे चार ऐसे निदर्शी मामले दर्शाये हैं:

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओ आय का सही अवधारण एवं निर्धारण करें। विवरणी के साथ संलग्न खातों, अभिलेखों और सभी दस्तावेजों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के दावों की संवीक्षा निर्धारणों के विवरण में जांच की जाए। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं।

4.4.3.1 उत्तर प्रदेश, सीआईटी, गाज़ियाबाद प्रभार में एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए दिसंबर 2011 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 133.17 करोड़ हानि पर **एओपी, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण** का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निर्धारिती ने मार्च 2008 में हापुड पिलखुआ विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) को ब्याज पर ₹ 51.71 करोड़ का ऋण दिया था, उस पर प्राप्त ब्याज को आय के रूप में नहीं दर्शाया था। ब्याज को फिर से जोड़ने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ के संभावित कर वाली ₹ 5.80 करोड़ हानि का अधिक निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 263/143(3) के तहत त्रुटि में सुधार किया (मार्च 2015)।

4.4.3.2 झारखंड, सीआईटी रांची प्रभार में, दिसंबर 2012 में एक फर्म का निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए, झारखंड ट्रेडिंग कंपनी ₹ 3.82 लाख की आय पर संवीक्षा निर्धारण किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि नि.व. 2009-10 के लिए लाभ एवं हानि खाते के अनुसार फर्म द्वारा की गई कुल खरीद ₹ 29.12 करोड़ दर्शाई गई थी, जबकि निर्धारिती के डिपो के क्रय बही-खाते में ₹ 32.75 करोड़ की खरीद शामिल की गई थी। क्रय खाते में ₹ 3.63 करोड़ राशि के अंतर पर संवीक्षा निर्धारण में ध्यान नहीं दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.49 करोड़ कर के कम उद्ग्रहण वाली उतनी ही राशि के बराबर राशि तक आय का कम निर्धारण हुआ।

मंत्रालय में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (नवंबर 2015) और मई 2015 में धारा 147 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष के दौरान किसी समय किए गए किसी कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त लाभ और आय पर कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ या आय शीर्ष के तहत आयकर प्रभारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त धारा 40ए(3) के प्रावधानों के अनुसार, जहां निर्धारिती के ₹ 20,000 से अधिक किसी बैंक से आहरण किए गए खाते में दिये चैक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किसी दिन किसी व्यक्ति को किए गए भुगतानों का भुगतानों के औसत के संबंध में कोई व्यय करता है, वहाँ ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती अनुमत नहीं होगी।

4.4.3.3 छत्तीसगढ़, सीआईटी रायपुर में एओ द्वारा नि.व. 2008-09 के लिए एक व्यक्ति अतुल कुमार सिन्हा की आय का अक्टूबर 2010 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण ₹ 0.09 करोड़ किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने लाभ एवं हानि खाते में ₹ 0.40 करोड़ की कुल प्राप्ति दर्शायी थी जबकि आय की संगणना के अनुसार कुल प्राप्ति ₹ 2.28 करोड़ दर्शायी गई थी। इसके अलावा, निर्धारिती ने 'राहुल कोम्यूनिकेशन' को ₹ 0.45 लाख का नकद भुगतान किया था, तथापि, विभाग ने इस राशि को निर्धारिती की आय में नहीं जोड़ा। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 0.81 करोड़ के कम कर का उदग्रहण किया गया। आयकर विभाग ने धारा 147 के तहत गलती में परिशोधन किया (मार्च 2014)।

4.4.3.4 उत्तराखण्ड में सीआईटी हल्दवानी प्रभार के एओ ने एक व्यक्ति संजय कुमार चौहान का नि.व. 2010-11 के लिए अप्रैल 2012 में संवीक्षा के बाद ₹ 0.13 करोड़ की आय पर निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि निर्धारिती लेखाकंन की मर्केटाइज्ड प्रणाली का अनुसरण कर रहा था फिर भी उसने अपने लाभ और हानि खाते में बही खाते के अनुसार ₹ 3.92 करोड़ के प्रति ₹ 3.07 करोड़ की ठेका प्राप्ति की गणना की। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 0.85 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 0.33 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल था। आयकर विभाग ने धारा 148 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की थी (मार्च 2015)।

4.4.4 टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूकें

नीचे हम ऐसे दो निदर्शी मामले दे रहे हैं।

धरा 40(ए)(आईए) में उन भुगतानों के लिए व्यय की कटौती का प्रावधान किया गया है जहां टीडीएस की कटौती नहीं की गई या कटौती के बाद, देय तिथि या उस से पूर्व, जमा नहीं किया गया, उसे अनुमत नहीं होगा।

4.4.4.1 सीआईटी रांची प्रभार, झारखण्ड में एक व्यक्ति, **ओम प्रकाश सिंह** का नि. व. 2010-11 के लिए संवीक्षा निर्धारण दिसम्बर 2012 में ₹ 0.58 करोड़ की आय पर किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एओ ने उप-ठेकेदार को किए गए ₹ 4.65 करोड़ के भुगतान जिस पर कर स्रोत पर नहीं काटा गया था, की अनुमति दी थी। चूंकि कर की कटौती नहीं की गई थी, इसलिए ₹ 4.65 करोड़ के भुगतान को अस्वीकृत करने की आवश्यकता थी। ऐसी चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.65 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 1.86 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपति को स्वीकार किया (जनवरी 2015) और कहा कि धारा 147 के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।*

4.4.4.2 सीआईटी-बुर्दवान, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति विष्णु घोष का नि.व 2008-09 के लिए निर्धारण दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद ₹ 9.13 लाख की आय अवधारित करते हुए पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एओ ने मजदूरी प्रभार और जॉब कार्यों के लिए ₹ 0.69 करोड़ के भुगतान की अनुमति दी थी जिस पर कर की कटौती की गई थी किन्तु उसे निर्धारण वर्ष के लिए रिटर्न फाइल करने की देय तिथि के अंदर जमा नहीं किया गया था। चूंकि कर देय तिथि के अन्दर जमा नहीं करवाया गया था इसलिए ₹ 0.69 करोड़ के भुगतान का अस्वीकृति करना आवश्यक था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 0.69 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 0.31 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *आयकर विभाग ने धारा 263 के अन्तर्गत गलती में परिशोधन किया (जनवरी 2014)।*

4.4.5 अस्पष्ट निवेश

हम नीचे ऐसा एक निदर्शी मामला दर्शा रहे हैं।

4.4.5.1 सीआईटी (केन्द्रीय) XXV कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में एओ ने एक व्यक्ति, **मदन मोहन चौधरी** का नि.व. 2008-09 के लिए निर्धारण दिसम्बर 2010 में धारा 144 के अन्तर्गत ₹ 1.91 करोड़ की आय पर पूरा किया, जिसे दिसम्बर 2011 में धारा 144 के साथ पठित धारा 263 के

अन्तर्गत आगे ₹ 4.82 लाख की आय पर संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मूल निर्धारण में एओ ने अस्पष्ट नकद जमा के ₹ 1.86 करोड़ की राशि को जोड़ा। आगे यह देखा गया कि उक्त निर्धारण आदेश को धारा 263 के तहत परित आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ अलग रख दिया गया कि वह उचित जांच के बाद नया निर्धारण बनाए और निर्धारिती को सुनने का उचित और यथोचित अवसर दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने ₹ 1.86 करोड़ के अस्पष्ट नकद जमा को हटा दिया और केवल ₹ 3.72 लाख की राशि को कमीशन आय के रूप में जोड़ा यद्यपि विभाग ने न तो निर्धारिती या अस्पष्ट नकद जमा के लाभार्थियों से कोई नया तथ्य या सूचना प्राप्त की थी। अस्पष्ट स्त्रोतों से आय को शामिल करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.86 करोड़ की आय निर्धारण से बच गई जिसमें ₹ 0.92 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *आयकर विभाग ने धारा 147 के तहत गलती में परिशोधन किया (नवम्बर 2014)।*

4.4.6 धन कर का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण

मई 2015 से सितम्बर 2015 के दौरान मंत्रालय ने ₹ 0.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले धन कर के छः मामले सूचित किए। हमने पाया कि एओ ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में इन मामलों में सीबीडीटी के निर्देशों⁵¹ का अनुपालन नहीं किया। हम नीचे ऐसा एक निदर्शी मामला दे रहे हैं:

4.4.6.1 सीआईटी-III बेंगलोर प्रभार, कर्नाटक में एओ ने एक व्यक्ति **लोहित पुनीत राजकुमार** की नवम्बर 2012 में नि.व. 2010-11 के लिए आयकर निर्धारण संवीक्षा पूर्ण की। आय कर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती के पास निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 4.05 करोड़ का निवल धन (अचल और चल परिसप्तियां) था। तथापि निर्धारिती ने न तो विवरणी दाखिल की और न ही विभाग ने कोई धन कर निर्धारण कार्रवाई प्रारंभ की। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.75 लाख के परिणामी कर प्रभाव सहित ₹ 4.05 करोड़ के धन का छिपाव हुआ। निर्धारिती ने विवरणी दाखिल की (मई 2014) और निर्धारण पूर्ण किया गया (अक्टूबर 2014) जिसमें धारा 16(3) के साथ पठित धारा 17 के तहत निवल धन विवरणी स्वीकार की और ₹ 4.18 लाख की मांग की जिसका निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया (मई 2014)।

51 एओ को सीबीडीटी के निर्देश नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 और सितम्बर 1984 में जारी किए गए थे।

4.5 कर/ब्याज का अति प्रभार

4.5.1 हमने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ओडिसा, पंजाब और यूटी चण्डीगढ़ में सात मामलों में आय का अधिक निर्धारण पाया जिसमें ₹ 11.0 करोड़ के कर/ब्याज का अति प्रभार शामिल था। हमने नीचे दो ऐसे निदर्शी मामले दिए हैं।

4.5.1.1 सीआईटी (केन्द्रीय)-I प्रभार, दिल्ली में एक व्यक्ति, **संजय कुमार** का नि.व. 2010-11 के लिए निर्धारण ₹ 89.54 करोड़ की आय और उस पर ₹ 30.42 करोड़ के कर पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया इस तथ्य के बावजूद कि निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए आय कर पर अधिभार के उदग्रहण के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लागू कर पर अधिभार के रूप में ₹ 2.69 करोड़ की राशि उदग्रहीत की गई थी। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.04 करोड़ का कर अधिक प्रभारित हुआ। *आयकर विभाग ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत उसमें सुधार किया (नवम्बर 2013)।*

4.5.1.2 सीआईटी केन्द्रीय गुडगांव प्रभार, हरियाणा में **स्वामी देवी दयाल हाईटेक एडुकेशनल अकादमी** के मामलों में नि.व. 2008-09 और 2009-10 के लिए निर्धारण जुलाई 2011 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए(1)(बी) के तहत पूरा किया गया था। तदन्तर अपील प्रभाव देते समय कर योग्य आय को संशोधित कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए ₹ 23.37 करोड़ और नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 18.21 करोड़ कर दिया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि निर्धारण निर्धारिती को एओपी के रूप में मानकर पूरा किया गया था फिर भी कर मांग की गणना सोसाइटी को लागू दरों पर की गई थी। कर की गलत दरों को लागू करने में त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 3.03 करोड़ (नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 1.91 करोड़ और नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 1.12 करोड़) तक की राशि का कर और ब्याज अति प्रभारित हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और दिसम्बर 2014 में दोनों नि.व. के लिए धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधारा।